भारत सरकार
गृह मंत्रालय
(राजभाषा विभाग)
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 725
दिनांक 05/3/ 2002/14 फाल्गुन, 1923(शक) को उत्तर के लिए
मंत्रालयों में हिन्दी सलाहकार समिति

प्रश्न

725. श्री जगदम्बी प्रसाद यादवः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें किः

(क) विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों में हिन्दी सलाहकार समितियों के गठन तथा पुनर्गठन के संबंध मे क्या प्रावधान है ;
(ख) किन-किन विभागों में ऐसी समितियाँ गठित कर ली गई है और किन-किन विभागों में इन्हें गठित नहीं किया गया है ;
(ग) हिन्दी सलाहकार समिति का पुनर्गठन न किये जाने के क्या कारण है ; और
(घ) बिना देरी के इनको पुनर्गठित करने के लिए क्या कदम उठाये जाने की संभावना है ?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री आई0डी0स्वामी)

(क) हिन्दी सलाहकार समितियों का गठन संबंधित मंत्रालय /विभाग द्वारा किया जाता है। संबंधित मंत्रालय के मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। समिति में सामान्यतः 30 सदस्य होते हैं जिनमें से 15 गैर-सरकारी सदस्य होते है। समिति का कार्यकाल सामान्यतः तीन वर्ष का होता है। तत्पश्चात् इसे पुनर्गठित करने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है। कभी-कभी मंत्रालयों के पुनर्गठन के फलस्वरूप भी हिन्दी सलाहकार समितियों का पुनर्गठन करना होता है।

(ख) इस संबंध में वांछित सूचना संलग्न अनुलग्नक में दी गई है।
(ग) हिंदी सलाहकार समितियों के गठन तथा पुनर्गठन के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय संसदीय राजभाषा समिति, स्वयं सेवी संस्थाओं इत्यादि से गैर-सरकारी सदस्यों के नामांकन प्राप्त करने होते हैं। इस प्रक्रिया को पूरा करने में संबंधित मंत्रालय / विभाग को समय लगता है।

(घ) मंत्रालय / विभाग समितियों का कार्यकाल समाप्त होने से पहिले कार्रवाई शुरू कर देते हैं। राजभाषा विभाग भी उनसे कार्रवाई शीघ्र पूरी करने को कहता है ।

अनुलग्नक

मंत्रालयों में हिंदी सलाहकार समिति के बारे में श्री जगदम्बी प्रसाद यादव, संसद सदस्य द्वारा लोकसभा में दिनांक 05-3-2002 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न सं.725 के भाग(ख) के उत्तर में अनुलग्नक

मंत्रालय / विभाग, जहां पर हिन्दी सलाहकार समितियां गठित / पुनर्गठित हैं

मंत्रालय/विभाग	मंत्रालय/विभाग
1.कृषि और सहकारिता, कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग तथा पशुपालन और डेयरी विभाग	23 भारी उद्योग विभाग + लोक उद्यम विभाग
2.ग्रामीण विकास मंत्रालय	24 सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
3 नागर विमानन मंत्रालय	25 श्रम मंत्रालय
4 पर्यटन विभाग	26 विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय
5 परमाणु ऊर्जा विभाग + अंतरिक्ष विभाग	27 खान विभाग
6 कोयला विभाग	28 अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय
7 वाणिज्य विभाग	29 संसदीय कार्य मंत्रालय
8 डाक विभाग	30 कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
9 दूरसंचार विभाग	31 योजना मंत्रालय
10 रक्षा विभाग + रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग	32 विद्युत मंत्रालय
11 रक्षा उत्पादन एवं पूर्ति विभाग	33 विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय + महासागर विकास विभाग
12 पर्यावरण और वन मंत्रालय	34 इस्पात मंत्रालय
13 विदेश मंत्रालय	35 पोत परिवहन मंत्रालय
14 आर्थिक कार्य विभाग	36 वस्त्र मंत्रालय
15 राजस्व विभाग + व्यय विभाग	37 शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय
16 उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	38 जल संसाधन मंत्रालय
17 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	39 सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
18 गृह मंत्रालय	40 रसायन और उर्वरक मंत्रालय
19 प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग + माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग + महिला एवं बाल विकास विभाग	41. लघु उद्योग मंत्रालय
20 युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय	42. जनजातीय कार्य मंत्रालय
21 संस्कृति विभाग	43. सूचना प्रौद्यौगिकी विभाग
22 औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग	44. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

मंत्रालय / विभाग, जिन्होंने हिन्दी सलाहकार समितियां गठित / पुनर्गठित नहीं की हैं

1. विनिवेश मंत्रालय	4. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
2. कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय	5. पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय
3. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	6. रेल मंत्रालय